

वादी

बनाम

प्रतिवादी

नाम सिंह पुत्र राम 168

सरकार

राजपूत आर हरिपुरा

किस्म मुकदमा

राजस वाद


अधीन धारा

S3,188 R.A.C.T

मु.नं.

100

2018



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

13.6.18

प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अर्जत द्वारा S3,188 R.A.C.T के अन्तर्गत किराया वादीका आवेदन बाद पत्र द्वारा S3,188 R.A.C.T के अन्तर्गत हर्ष रामिया जी वादी को सुना वादी ने कथन किराया की ग्राम हरिपुरा के 25000 44 में खादेदीकी गैरीकहना सुडा पत्नी ने प्रतिवादीगण परेशान कर कब्जा करने पर उतार ही उन्हें पाबन्ध करवाने प्रतिवादीगण को कोष में बुलाया गया प्रतिवादीगण उपर सरपंच गा.पं. खाशिया उपर पक्षकाराग की आपस में बहस सामनापन करने पर अन्तर्गत करने पर सहमत होना से कोष में उपस्थित तहसीलदार लुपामन को विवेक से जय की पक्षकाराग का राजीनामा माफिक अन्तर्गत करी पक्षकाराग द्वारा राजीनामा पत्र दिनांक 1 फरवरी 2018 में उपस्थित करी राजीनामा द्वारा 13.6.18 को प्रतिवादीगण के आवेदन बाद पत्र में कार्यवाही होकर नष्ट होने से पक्षकाराग कोष में काम होकर फौजदारी जा रही

किराया अर्जत आम कोष - खाशिया में बुलाया गया

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)